छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 (पौष 1, 1933)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2011-2012 के बजट की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखेंगे.

(2) श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम,2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2010-2011 (दिनांक 1.7.2010 से 30.6.2011) पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, जिला कबीरधाम के ग्राम पंचायत खम्हरिया एवं लोखान में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, प्रदेश में गांजा की तस्करी किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री सेवकराम नेताम, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री राजू सिंह ठाकुर, सभापति, याचिका समिति का चतुर्थ, पंचम् एवं षष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

क्रमशः 2

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य, विकासखण्ड तिल्दा अंतर्गत ग्राम गनियारी में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने,

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत -

(i) विकासखण्ड अकलतरा के ग्राम परसाही (बाना) में हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(ii) विकासखण्ड बलौदा के ग्राम बुड़गहन में पशु औषधालय भवन निर्माण करने,

(iii) विकासखण्ड अकलतरा के ग्राम कोटमीसोनार में कन्या छात्रावास भवन निर्माण करने,

(iv) विकासखण्ड अकलतरा के ग्राम किरारी में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(v) विकासखण्ड बलौदा के ग्राम बुड़गहन में छात्रावास भवन निर्माण करने,

(vi) विकासखण्ड बलौदा के ग्राम नवगंवा में हाई स्कूल खोलने,

(3) श्री बर्नार्ड जोसेफ रोड्रीक्स, सदस्य, कुरूद विकासखण्ड अंतर्गत -

(i) ग्राम बंजारी से भखारा बाईपास रोड तक सड़क निर्माण करने,

(ii) ग्राम बंजारी में लिफ्ट एरिकेशन से नाली निर्माण करने,

(4) श्रीमती लक्ष्मी बघेल, सदस्य, बलौदा बाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत हतबंद (सिलपट्टी) से सिलपट्टी तक पुल-पुलिया सहित डामरीकरण करने,

(5) श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सदस्य, गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चाराचार में पूर्व माध्यमिक शाला खोलने,

(6) श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य, जिला रायपुर अंतर्गत -

(i) विकासखण्ड पलारी के ग्राम टेमरी से रोहांसी मार्ग का निर्माण करने,

(ii) विकासखण्ड पलारी के ग्राम सुन्द्रावन से गैतरा मार्ग के मध्य नाले पर पुल-पुलिया निर्माण करने,

(iii) विकासखण्ड बलौदाबाजार-रायपुर मार्ग स्थित खोरसी नाले पर पुराने पुल को सीधा कर नया पुल निर्माण करने,

(iv) विकासखण्ड पलारी के ग्राम संडी (मुड़पार) में पुलिस चौकी स्वीकृत करने,

(v) विकासखण्ड बलौदाबाजार के ग्राम ताराशिव में छात्रावास निर्माण करने,

(7) श्री नंद कुमार साहू, सदस्य, रायपुर नगर निगम अंतर्गत वार्ड क्रमांक- 27, अमन नगर मोवा में विद्युत खम्भा स्थापित करने,

(8) श्री बैदूराम कश्यप, सदस्य, चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम कलेपाल में पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन करने,

(ii) ग्राम बड़ेकिलेपाल कुम्हारपारा से कोलूपारा के मध्य पुल निर्माण करने,

(9) श्री हृदयराम राठिया, सदस्य, लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम लारीपानी से सागरपाली मार्ग पर केलो नदी पर पुल निर्माण करने,

(ii) ग्राम कटकलिया एवं ग्राम घटगांव में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने तथा

(iii) ग्राम सागरपाली से ग्राम लारीपानी होकर ग्राम गहिरा मार्ग पर पुल निर्माण करने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

क्रमशः 3

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

15 मिनट (1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 21 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

1 घंटा 30 मिनट (2) श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 22 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

30 मिनट (3) श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

45 मिनट (4) श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 24 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

1 घंटा (5) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 26 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

45 मिनट (6) श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 27 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

7. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनट

प्रदेश में सीमेंट सहित भवन निर्माण सामग्रियों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री देवजी पटेल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

रायपुर
दिनांक 21 दिसम्बर, 2011

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.